राजस्व लोक अदालत 2015

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :-श्री उदयभानु चारण आर.ए.एस.

कैम्प-अराबा दिनांक 15.7.2015

मुकदमा सं0 30/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामाराम, 2. सुखाराम, 3. बालाराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी खदडू 4. जमनादेवी बेवा आसूराम जाति जाट निवासी खदडू तहसील पचपदरा		1. भोमा, 2. शेरा, पुत्र सोना जाति जाट निवासी खदडू 3. चम्पा बेवा सोना जाति जाट निवासी खदडू 4. चौखा, 5. लाछा पुत्र जगमाल जाति जाट नि0 खदडू 6. धापू बेवा जगमाल जाति जाट निवासी खदडू 7. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

<u>वाद हेतु बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी ए</u>

<u>निर्णय</u>

वादीगण वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमियों के सह संयुक्त खातेदार है। यह वाद राजस्व ग्राम दूधवा डेर के खसरा सं0 338/ 92 रकबा 138.05 व खसरा सं0 340/92 रकबा 111.17 किस्म बा0 दो0 राजस्व रेकर्ड में सह संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा रकबा 125.01 बीघा के खातेदार टिनेन्ट वादीगण है। तथा 1/2हिस्सा बराबर 125.01 बीघा के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 ता 6 है। प्रतिवादी सं0 7 भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

उपरोक्त भूमियों में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हिस्से से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा आवागमन के रास्ते को ध्यान में रखते हुये उक्त भूमि से जुड़ती सड़क पर जमाबंदियों में हिस्सेनुसार सड़क पर भूमि का भाग रखते हुये किया जा कर राजस्व अभिलेख में जुदा-जुदा बंट्टा नम्बर अंकित किये जावें। बाद बंटवाड़ा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वादीगण के हिस्से की भूमि में दखलंदाजी नही करें।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने कैम्प दूधवा में उपस्थित हो कर राजीनामा पेश कर जाहिर किया ग्राम दूधवा डेर के खसरा सं0 खसरा सं0 338/ 92 रकबा 138.05 व खसरा सं0 340/92 रकबा 111.17 बीघा का 1/2- 1/2 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जा जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वादपत्र स्वीकार किया जा कर बाई मिट्स एण्ड्स बाउण्ड्स के आधार परवाद के पद सं0 दो में दर्शाये हिस्से 1/2-1/2 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा से मंगवाया जावे। भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि भूमियों का विभाजन राजस्व मण्डल के विभाजन नियमों के अनुसार विभाजन कर आवागमन के रास्तों को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव पेश करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी हो । खर्चा फरीकेन अपनां-अपना वहन करें। पत्रावली बाद तामिल फेसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.7.15 को राजस्व लोक अदालत में लिखाया जा कर सुनाया गया।

(उदयभानु चारण)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर बालोतरा

कैम्प अराबा 2015

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत 2015 बालोतरा

Scanned by CamScanner